प्रथम सूचना रिपोर्ट

1.जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2013 प्र.सू.रि.स 17 दिनांक 12.08.13

2.अधिनियम पी.सी एक्ट धाराएं 7 पी.सी एक्ट

अन्य अधिनियम एंव धाराएं – – – – – –– –

3.(क) घटना का दिन सोमवार दिनांक से दिनांक 12.08.13

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 12.08.2013 समय 05.15 पी0एम

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 8 समय 05.25 पी0एम0

बजरिया सपैशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थन का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एंव दूरी) जानिब पूर्व लगभग 65 कि0मी0

(ख) पता : पुलिस चौकी मुण्डकटी थाना होडल जिला पलवल।

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम) थाना होडल जिला पलवल।

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :–

(क) श्री जितेन्द्र (ख) (पिता/पति का नाम) श्री ज्ञान सिंह

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) मेहनत मजदूरी (पता) गांव सेवली त0 होडल जिला पलवल।

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. उप निरीक्षक उधम सिंह
   चौकी इन्चार्ज मुण्डकटी थाना होडल जिला पलवल

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी श्री रणवीर सिंह निरीक्षक एस.वी.बी.एच फरीदाबाद बदस्त सि0 संदीपसिंह 659/फरीदाबाद, थाना में प्राप्त हुई जिसका मजबून जेल है। सेवा में श्रीमान इस्पैक्टर साहब स्टेट विजिलैसं ब्यूरो फरीदाबाद श्रीमान जी निवेदन है कि मै जितेन्द्र पुत्र ज्ञान सिंह कोम जाट निवासी सेवली त0 होडल जिला पलवल का रहने वाला हूँ। मेरे खिलाफ गांव के नेमचन्द पुत्र रामरतन लाल ने अपनी लडकी पूजा को छेडने बारे झूठी दरखास्त चौकी मुण्डकटी में दी थी। जिसका राजीनामा गांव के कुछ लोगो ने चौकी मुण्डकटी में बैठकर झूठी पाये जाने पर करा दिया था। दरखास्त दिनांक 8.8.2013 को दी और दिनांक 9.8.2013 को समझोता हो गया था। अब इसकी बाबत 100000/–, एक लाख रूपये चौकी इंचार्ज उधम सिंह को उसके मांगने रिश्वत के 9.8.13 को ही दे दिये है। बात 1,50,000/–रू एक लाख पचास हजार रूपये में हुई थी। अब बाकी के पैस 50,000/–रू के लिए उधम सिंह ए.एस.आई बार–बार दबाव बना रहा है और कह रहा है कि अगर नही दोगे तो बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दूगां। हम ये पैसे उस दिन भी नही देना चाहते थे। परन्तु नही देते तो वह समझोता नही होने देता और अब नही दूगां तो वह मुझे झूठे केस में फसा

देगा, जो कि रहा है। अब मै आपके पास कार्यवाही हेतु आया हूँ। इस रिश्वत खोर एस.आई के खिलाफ कार्यवाही की जाये। एस.आई उधम सिंह चौकी इंचार्ज मुण्डकटी जो यह रिश्वत मांग रहा है। उससे मेरा कोई पैसे का लेन देन नही है। और ना ही मेरी उससे को रंजिश है। हस्ता/– हिन्दी जितेन्द्र सिंह सपुत्र ज्ञान सिंह गांव सेवली। कार्यवाही पुलिस :– मन निरीक्षक आज मय स्टाफ हाजिर कार्यालय यूनिट राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद हाजिर था कि जितेन्द्र सिंह सपुत्र ज्ञान सिंह उपरोक्त ने हाजिर आकर एक दरखास्त बाबत मागंने रिश्वत मु0 50,000/–रू बर खिलाफ एस.आई उधम सिंह चोकी इंचार्ज मुण्डकटी के खिलाफ दी जिस पर मजबून दरखास्त से सरेदस्त जुर्म 7 पी. सी एक्ट का सरजद होना पाये जाने पर तहरीर कराने मुकदमा दर्ज सि0 संदीप सिंह न0 659/फरीदाबाद के भेजी जा रही है। बाद करने मुकदमा दर्ज नम्बर पर्चा से सूचित किया जाये। मन निरीक्षक मय रैडिगं पार्टी जिसमें एच.सि. दिनेश कुमार न0 1941/फरीदाबाद, इ.ए.एस.आई रोहताश कुमार 933/गुडगांव, चालक सि0 जुबेर खां 5/356 बा सवारी गाडी सरकारी मय मुदई जितेन्द्र सिंह मय तफतीशी बैग गाडी न0 एच.आर 68/8353 रवाना बराये कार्यवाही कार्यालय उपायुक्त महोद्य पलवल का होता हूँ। हालात बारे बजरिया फोन अफसरान बाला को सूचित किया गया। स्पैशल रिपोर्ट बदस्त स्पैशल मैसेंजर ईलाका मैजिस्टेट साहब व अफसरान बाला को भिजवाई जावे। एस.डी अग्रेंजी/– रणवीर सिंह निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद थाना राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव दिनांक 12.8.2013 एट 3.10 पी.एम अज राज्य चौकसी ब्यूरो फरीदाबाद। अज थाना :– आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरान बाला भेजी जायेगी। एक पर्त प्रथम सूचना रिपोर्ट बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा में ईलाका मैजिस्टेट साहब पलवल बदस्त आरिन्दा सिपाही सि0 संदीप सिंह न0 659/फरीदाबाद भेजी जा रही है। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर बराये तफतीश निजद निरीक्षक रणवीर सिंह मौका पर पहुंचाने हेतु भी इसी सिपाही के हवाले की गई।

हस्ता हिन्दी/– जगत सिंह
थाना प्रभारी का नाम
नाम : जगत सिंह
पद : निरीक्षक
सख्यां : एच0ए0पी0/15
दिनांक 12.08.2013 समय 07.15 पी.एम